Asstt. Architect

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

(9)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2013/भाद्र 4, 1935

No. 427] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2013/BHADRA 4, 1935

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2013

सा.का.नि. 571(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वास्तुविद् स्टाफ (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1962 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, में सहायक वास्तुविद् की भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—
   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सहायक वास्तुविद् भर्ती नियम, 2013 है ।
   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन–बैंड और ग्रेड–वेतन या वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन–बैंड और ग्रेड–वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4)में विनिर्दिष्ट हैं ।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हता, आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5)से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**:— वह व्यक्ति —
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है , उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।
5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्तिः** इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक वास्तुविद	42* (2012)– *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग–30, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार–12	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन– बैंड–2, 9300– 34800 रु. + ग्रेड–वेतन 4800 रु.	लागू नहीं होता	आयु 30 वर्ष से अनधिक **टिप्पण : 1** केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण : 2** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदनपत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उपखंड, अण्दमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
7	8	9	10
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वास्तुविद् डिग्री और वास्तुकला परिषद् में वास्तुविद् के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो । **टिप्पण** :– अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	**सीधी भर्ती द्वारा** **टिप्पण 1:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से अर्थात् केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है और जिनके पास स्तंभ–7 के अधीन विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य संस्था में किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है। साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदनपत्रा की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 'छप्पन वर्ष' से अधिक नही होगी ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नतियां या प्रतिनियुक्ति या/आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसका गठन किस प्रकार से किया है	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के संबंध में परामर्श किया जाना है
11	12	13
लागू नहीं होता	**समूह 'ख विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि या प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :** 1. महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग –अध्यक्ष 2. मुख्य वास्तुविद्, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग –सदस्य 3. निदेशक (निर्माण कार्य) या उप सचिव, शहरी विकास मंत्रालय – सदस्य 4. निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग –सदस्य।	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. 38/4/2010–एस एंड डी (ईडब्ल्यू–1)]
महा सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2013

G.S.R. 571(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Public Works Department Architectural Staff (Gazetted) Recruitment Rules, 1962, in so far as it relates to the posts of Assistant Architect, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Architect in the Central Public Works Department in the Ministry of Urban Development, namely:

1. **Short title and commencement.**– (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Central Public Works Department, Assistant Architect Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the pay band and grade pay or pay scale.**– The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualification, etc.**– The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.– No person,-**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Architect	42 (2012)* *Subject to variation depending on work load	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2 of R 9,300-34,800/- Grade Pay of R 4800/-	Not applicable	Not exceeding 30 years. **Note1:** Relaxable for Government servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

	Central Public Works Department- 30 Public Works Department, Delhi Government -12				**Note 2:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by the deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Degree in Architecture from a recognized university or Institution and registered with Council of Architecture as Architect. **Note** : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well Qualified.	Not applicable	Two years	By direct recruitment **Note1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department and possessing educational qualifications prescribed under column No.(7). **Note 2 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall be 'not exceeding fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making the recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation or promotion) consisting of:- 1. Director General, Central Public Works Department - Chairman 2.Chief Architect, Central Public Works Department - Member 3.Director (Works) or Deputy Secretary Ministry of Urban Development - Member 4.Director of Administration, Central Public Works Department – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. 38/4/2010-S & D(EW-I)]
MAHA SINGH, Under Secy.

3712 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

No. 38/4/2010-S&D/EW.I
Government of India
Ministry of Urban Development
(Works Division)

....

New Delhi, dated the 11th July, 2013

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri,
Ring Road,
New Delhi.

Subject: Publishing of revised Recruitment Rules for the post of Assistant Architect in CPWD under this Ministry.

....

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the Notification both in Hindi and English version for the post of Assistant Architect Recruitment Rules, 2013 in CPWD under this Ministry for publishing in Part-II, Section-3, Sub section (i) of the Gazette of India.

2. It is requested that the Recruitment Rules may kindly be published immediately under the Extraordinary Gazette and 100 copies of the same may kindly be forwarded to this Ministry for record.

3. This issues with the approval of Joint Secretary (L&W).

Yours faithfully,

(Maha Singh)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA